IS 15700:2005

सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
वास्तुकला एवं नियोजन इकाई–पंचम
नीलगिरी काम्पलेक्स,इन्दिरा नगर, लखनऊ–226016

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700 SQMS

पत्र सं0– 2168 /वा0नि0–5 / GEN-125 दिनांक– 12-12-13

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड–31
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद
आफिस काम्पलेक्स, वृन्दावन योजना, लखनऊ।

डायरी सं0 1575
कार्यां 09
दि0 16/12/13
पत्रावली सं0 P-56

विषयः वृन्दावन योजना सं0–4 लखनऊ के सेक्टर–18 में कैलाश इनक्लेव के मानचित्र निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि वृन्दावन योजना सं0–4 लखनऊ के सेक्टर–18 में कैलाश इनक्लेव के मानचित्र तैयार किये जाने हेतु मैसर्स सिविल कन्सलटेन्ट के साथ अनुबन्ध निष्पादित किया गया था। कन्सलटेन्ट द्वारा प्रस्तुत मानचित्रों के आधार पर परीक्षणोंपरान्त मुख्य वास्तुविद नियोजक की संस्तुति के आधार पर आवास आयुक्त महोदय, द्वारा दिनॉक–19–11–2013 द्वारा मानचित्रों को निम्न शर्तो से अनुमोदित किया गया है। जिसे संबंधित खण्ड व कन्सलटेन्ट के माध्यम से निर्माण प्रारम्भ किये जाने से पूर्व सुनिश्चित कराया जाना आवश्यक है।

1. कय योग्य एफ.ए.आर. हेतु वॉछित धनराशि को परिषद खाते में जमा करना व धनराशि को भवनों के प्राक्लन में समायोजित किया जाना होगा ।
2. मुख्य अग्निशमन अधिकारी, से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए एक सेट पर अग्निशमन की शर्ते अंकित कराते हुए इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जाना होगा।
3. कैलाश इनक्लेव हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रेषित नही किया गया है। मानचित्र इस शर्त के साथ स्वीकृत किया जा सकता है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र तीन माह के अन्दर संबंधित खण्ड द्वारा जमा किया जायेगा।
4. कैलाश इनक्लेव हेतु भारतीय विमान पत्तनम् का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रेषित नही किया गया है, अतः यह प्रस्तावित है कि निर्माण कार्य भारतीय विमान पतनम विभाग–क अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद प्रारम्भ किया जायेगा।
5. निर्माण की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत मानचित्रों पर वास्तुविद के साथ स्ट्रक्चरल डिजाईन तैयार कराने वाले इंजीनियर का पूरा नाम तथा मोहर युक्त हस्ताक्षर व भूकम्प रोधी होने का प्रमाण पत्र उपविपधि के अध्याय–11 के सलंग्नक–4 में उल्लखित प्रारूप में अंकित कर –5 सेट इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा।

AE II
EE 16/12/13
Shri Bhawani Pd. JE & D/m.
17/12/13
AE II

6. उपविधि के सलंग्नक बिल्डिंग इन्फारमेंशन शडयूल में उल्लिखित विवरण तालिका के रूप में मानचित्र पर अंकित होना आवश्यक हैं जो कि स्ट्रक्चरल इंजीनियर से प्रमाणित करते हुए मानचित्र स्वीकृति से पूर्व उपलब्ध कराया जाना होगा।
7. मानचित्र के अनुसार स्ट्रक्चरल डिजाईन के कैलकूलेशन के –5 प्रमाणित सेट प्रस्तुत करना होगा । किसी मान्यता प्राप्त संस्थान के विभागाध्यक्ष से प्रति हस्ताक्षरित कराते हुए प्रेषित की जानी होगी।

उक्त अनुमोदन के क्रम में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु मानचित्र की दो प्रतियाँ आपको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
(संजीव कश्यप)
वास्तुविद नियोजक

पत्रांक / [illegible] दिनॉकः 12-12-13

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1. अधीक्षण अभियन्ता,विद्युतवृत्त,नीलगिरी काम्पलेक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
2. अधीक्षण अभियन्ता,तृतीय वृत्त,नीलगिरी काम्पलेक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
3. मैसर्स सिविल कन्सलटेन्ट, 003 गौरी अर्पाटमेन्ट–57 हिल्टेन लेन, मीराबाई मार्ग, लखनऊ।

वास्तुविद नियोजक